

राजस्थान सरकार  
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

यू.ओ.नोट

विषय- राशि हस्तान्तरण करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्रांक- एफ-5(50)एसीटीएडी/माडा/ बजट/275(1)/भीलवाडा/2019-20/25783-93 दिनांक- 24.10.2020 द्वारा निम्नांकित सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

| क्र. सं. | कार्य का नाम                                  | ग्रा.प./पं.स. | प्रशासनिक स्वीकृति     |       | तकनीकी स्वीकृति |       |
|----------|---|---------------|------------------------|-------|-----------------|-------|
|          |   |               | क्र/दि                 | राशि  | क्र/दि          | राशि  |
| 1        | 2   | 3             | 4                      | 5     | 6               | 7     |
| 1        | सामुदायिक भवन निर्माण भील बस्ती, ग्राम सरेवडी | भीटा/रायपुर   | 22538-822<br>5.09.2020 | 5.00  | 157/24.09.20    | 5.00  |
| 2        | सामुदायिक भवन निर्माण भील बस्ती, ग्राम भीटा   | भीटा/रायपुर   | 22538-822<br>5.09.2020 | 5.00  | 158/24.09.20    | 5.00  |
|          | योग   |               |                        | 10.00 |                 | 10.00 |

अतः कृपया उक्त कार्यों हेतु धारा संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध अनटाईड राशि में से 10.00 लाख रुपये की राशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा को हस्तान्तरित कराने का श्रम करावें।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

वित्तीय सलाहकार,  
कार्यालय हाजा।

एफ-5(50)एसीटीएडी/माडा/ बजट/275(1)/भीलवाडा/2019-20/881-87 दिनांक-08/01/2021  
प्रतिलिपि-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), भीलवाडा।
- 2- सहायक लेखाधिकारी-II (माडा), कार्यालय हाजा।
- 3- लेखाकार (माडा), कार्यालय हाजा।
- 4- माडा मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
- 5- कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
- 6- अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
- 7- गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)